न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 231/2020 – निगरानी

ग्राम पंचायत परासौली जरिए ग्राम विकास अधिकारी रमेश कुमार (सचिव) ग्राम पंचायत परासौली पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा	बनाम	1. गोपाल पिता देवीलाल सेन निवासी नई परासौली तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा 2. किशन नायक पिता रतन लाल नायक निवासी कंवलियास पूर्व सचिव ग्राम पंचायत परासौली हाल ग्राम विकास अधिकारी जगपुरा ग्राम पंचायत जगपुरा पंचायत समिति आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज संशोधित अधिनियम 1994 बाबत् पटटा निरस्त कराये जाने बाबत्

उपस्थित –

1. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.02.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासौली के अन्दर हल्का आबादी क्षेत्र मे स्थित भूखण्ड का आवासीय पटटा पैतृक भूमि मानते हुऐ जारी किया गया है, जो कि अवैध होकर शून्य प्रभावी है। तथाकथित भूमि का पटटा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच गोपाल मारू द्वारा ग्राम पंचायत परासौली की कौरम आयोजित नहीं की व प्रस्ताव लिये बिना ही पैतृक भूमि बताकर ग्राम पंचायत में 200/–रूपये जमाकर ग्राम पंचायत परासौली के नाम से पटटा जारी कर दिया, जिस पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक के पटटों पर कोई हस्ताक्षर नही हैं, हस्ताक्षर किशन नायक के फर्जी किये गये हैं। इस बाबत पूर्व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी किशन नायक द्वारा एक आम सूचना राजस्थान पत्रिका में दिनांक

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

खाली भूखण्ड है। यदि कोई व्यक्ति पुरानी तारीख के फर्जी पटटे प्राप्त करता है, तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। यह पट्टे खारीज योग्य होकर उक्त भूमि के पटटे प्रक्रियात्मक नही है। पंचायत समिति मे जमा रिकॉर्ड अनुसार गायब पटटों की प्रतियों पर प्राप्तकर्ता व सचिव के हस्ताक्षर नही है। जिनकी निगरानिया दर्ज है।

उक्त आम सूचना प्रकाशन के उपरांत एवं इस न्यायालय द्वारा सम्मन नोटिस तामील होने के पश्चात् भी गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से निगरानी एवं आम सूचना के खण्डन में कोई प्रत्युत्तर एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश नही हुये। जिससे न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के मध्येनजर यह सिद्ध होता है कि उक्त प्रश्नगत पटटा पूर्णतया कूटरचित एवं फर्जी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 01 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा दिनांक 05.09.20219 को जारी किया गया, वह प्रारब्ध से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं एवं विधि विपरीत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायहित व राज्य हित में है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत परासोली द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.09.2019 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति आसीन्द एवं ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा